न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—28/2021 (2021/67) वाद पत्र

अनवान

1. नोला आत्मज देवा बलाई निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **वादी**

बनाम

1. नेनु आत्मज देवा बलाई निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **प्रतिवादी**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. सज्जन बैरवा — वादी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद— प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—23.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मेरणियाखेड़ा पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदार अधिकार की आराजी संख्या 774/648 रकबा 0.11 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ्ज्ञ प्रस्तुत की है। वादी की उक्त खातेदारी अधिकार की भूमि में प्रतिवादी का कोई स्वत्व अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादी आये दिन वादी की आराजी संख्या 774/648 की पूर्वी पाली पर नाजायज दखलदांजी करता रहता है। वादी की पूर्वी दिशा में प्रतिवादी की आराजी स्थित है। प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी अधिकार की आराजी की पूर्वी पाली पर अनाधिकृत रूप से कब्जा लिया तब वादी ने प्रतिवादी व अन्य के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के तहत् न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया जो प्रकरण सख्या 28/2016 दर्ज होकर दिनांक 13.04.2016 को आदेश प्रदान फरमाया गया। पत्थरगड़ी आदेश की पालना में भू—अभिलेख निरीक्षक ने आये एव उक्त आराजी संख्या 774/648 की पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा कायम किया जिसमें वादी की आराजी संख्या 774/648 रकबा 0.11 है0 सम्पूर्ण पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया, जो वादी की खातेदारी की आराजी है। वादी की खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है जिस वादी को कहा तो टालमबाजी का जवाब देता रहा है। जिससे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि कब्जेयापी की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम मेरणियाखेड़ा में स्थित उक्त वादवर्णित आराजी संख्या 774/648 रकबा 0.11 हैक्ट. भूमि से प्रतिवादी का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादी को कब्जा सिपूर्द कराया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादवर्णत तथ्यो को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी संख्या के द्वारा अपने जवाब में वादवर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम के रूप में निवेदन किया कि वादी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 774/648 रकबा 0.11 है0 भूमि पूर्व में मूल खसरा नम्बर 648 रकबा 0.22 है0 से दर्ज हुआ है जो मूल नम्बर वादी एवं प्रतिवादी दोनो के नाम से दर्ज रेकार्ड था। उक्त सम्पूर्ण भूमि संवत 2025 में प्रतिवादी के तन्हा हिस्से में रखते हुए 50 नये पैसे का स्टाम्प प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित कराते हुए सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी को सिपूर्द की तब से प्रतिवादी भूमि पर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी दोनो भाई है। वादी नोला कालु पिता भज्जा बलाई का गोद पुत्र है। गोद पिता भूमि 30 वर्ष पहले वादी के नाम दर्ज हो गई। प्रमाण में संवत 2067 से 2070 की जमाबंदी प्रस्तुत की है वादी का इस भूमि से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादी को उक्त आराजी संख्या 774/648 रकबा 0.11 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार होने का अधिकारी है। काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वादी की ओर से काफी अवसर देने के बाद भी काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत नही किया गया और न ही प्रकरण में वादी की ओर से कोई उपस्थित थे जिससे इस प्रकरण में वादीगण का जवाब बन्द करते हुए वादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रतिवादी के द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में स्वयं के बयान कराये गये तथा रेकार्ड प्रदर्शित कराया गया जो प्रदर्श 1 से 3 है।

प्रतिवादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में काउन्टर क्लेम के तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी मूल रूप से दोनो भाई है किन्तु वादी करीब 30 वर्ष पहले कालुजी बलाई के गोद चला गया जिससे गोदी पिता की भूमि ग्राम पीथाकाखेड़ा में स्थित है जो वादी के नाम दर्ज हुई है उस जमाबन्दी की नकल प्रकरण में प्रस्तुत की गई जो प्रदर्श 3 है। वादी के गोद जाने पर वादी के द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में सवंत 2025 में आसाढ़ बुदी 3 गुरूवार को स्टाम्प पर लिख कर भूमि को 250 रूपये में प्रतिवादी को सिपूर्द कर दी गई तब से प्रतिवादी काबिज है। वादी के द्वारा दिनांक 25.06.2016 को पत्थरगढ़ी करवाई गई उस दौरान पर्चा मौका मे भी वादवर्णित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया। जिससे काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादवर्णित भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है किन्तु वादी के द्वारा संवत 2025 में आसाढ़ बुदी 3 गुरूवार को प्रतिवादी के पक्ष में वादवर्णित भूमि को 250 रूपये में लिखतम करते हुए भूमि सिपूर्द की गई जिसको लगभग 50 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। वक्त पत्थरगढ़ी दिनांक 25.06.2016 को भी वादवर्णित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया इससे भी यह स्पष्ट प्रमाणित है कि वादी का मौके पर कब्जा नही होकर वादी की और से संवत 2025 में भूमि प्रतिवादी को सिपूर्द की गई तब से प्रतिवादी का कब्जा है जो अनाधिकृत नही होकर विधिक कब्जा की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी के क्षरा अपने काउन्टर क्लेम को बखुबी रेकार्ड और मौके से प्रमाणित कराया है। वादी की ओर से वाद पेश करने के बाद कोई रूची नही लेने से एकपक्षीय निर्णय भी हो चुका है। प्रतिवादी द्वारा वादी के दुसरी जगह गोद जाने को रेकार्ड से प्रमाणित कराया है अर्थात वादी ग्राम पीथाकाखेड़ा में कालुजी बलाई के यहां गोद चला गया जो जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 प्रदर्श 3 से स्पष्ट प्रमाणित है। वादवर्णित भूमि संवत 2064 से 2067 की जमाबन्दी में नोला एवं नेनु के सामलाती रूप में दर्ज है जिसमें वादी के हिस्से की भूमि को प्रतिवादी के पक्ष में कब्जा देकर लिखापढ़ी कर दी गई है जिससे उक्त भूमि पर वादी का कोई हक अधिकार नही होता है। प्रतिवादी का ही हक अधिकार है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मेरणियाखेड़ा पटवार हल्का कोट की आराजी संख्या 774/648 रकबा 0.11 है0 भूमि का प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

23/06/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–28/2021 (2021/67) वाद पत्र

अनवान

1. नोला आत्मज देवा बलाई निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नेनु आत्मज देवा बलाई निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मेरणियाखेड़ा पटवार हल्का कोट की आराज़ी संख्या 774/648 रकबा 0.11 है0 भूमि का प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

डिक्री आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर सुनायी गयी।

23/06/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा